22/10/2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता का 3 बार आवाज दिलायी गयी। यह बावजूद सूचना के आज न्यायालय में उपस्थित नहीं हैं। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/प्रतिवादी ने दिनांक 11.07.2017 को आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था तथा उसी तारीख पर अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी को अप्रार्थी/वादी का तलबाना पेश करने हेतु पाबन्द किया गया था किन्तु लगभग 12 अवसर के बाद भी प्रार्थी ने वांछित तलबाना पेश नहीं किया है। इस प्रकार प्रार्थी ने न्यायालय के आदेशों की तकमील भी नहीं की है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा 9 नियम 13 जा0दी0 अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

[illegible] अधिकारी
[illegible]पुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar Sindhav
Date: 2019.11.07 13:31:23 IST
Reason: SelfAttested